न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआरए / 14 / 2018

उनवान

1. श्रीमती टमू पत्नी हरजी गुर्जर निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. देवकरण पुत्र उगमा गुर्जर निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
2. मोतीराम पुत्र गोकल गुर्जर निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
3. ओमप्रकाश पुत्र रामदेव बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
4. जगदीश पुत्र भागीरथ बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
5. पांचू पुत्र अर्जुन बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
6. मदन लाल आत्मज रामा बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
7. मेवा पुत्र घीसू बैरवा निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
8. राधेश्याम पुत्र हनुमानदास वैष्णव निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
9. देबी लाल पुत्र बीजू रेगर निवासी डियास तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 15/2016 निर्णय एवं दिनांक 29.9.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री शोभागमल कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम डियास के निवासी होकर ग्राम डियास के उत्तरोतर विकास एवं सार्वजनिक हितार्थ कार्य करने के लिए निहित है। प्रार्थीगण की ओर से बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत प्रतिनिधि के तौर पर यह आवेदन पत्र प्रस्तत कर निवेदन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम डियास की आराजी नम्बर 934/1251 में से 0.50 हेक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 18.2.2013 को आवंटन सलाहकार समिति ने मनमाने, अवैध एवं विधिविरूद्ध तरीके से आवंटित कर दी है निरस्त योग्य है। क्योंकि उक्त आवंटित सुदा आराजी भूमि पर ग्राम डियास के अन्य व्यक्तियों के नाजायज कब्जे किये हुए हैं उक्त भूमि आवंटन योग्य न होते हुए भी विपक्षी को आवंटन की गई है जो निरस्त योग्य है क्योंकि आवंटनसुदा भूमि डियास से नाथडियास जाने वाले रास्ते का भूभाग है। आवंटन सलाहकार समिति में राजनैतिक प्रभव का गलत इस्तेमाल करके आवंटन कराया गया जो निरस्त योग्य है। आवंटी भूमिहीन सद्भावी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काश्तकार नहीं है । ग्राम डियास में पहले से ही पशुओं के लिए चराई हेतु भूमि कम है। अतः विपक्षी को किया गया आवंटन विधि विपरीत होकर निरस्त योग्य है क्योंकि उक्त आराजियात भूमि पर गांवाई प्शु चरते हैं । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा एक ही परिवार के सदस्यों को भूमि का आवंटन किया गया है जो सर्वथा गलत होकर अवैध है। आवंटन में आवंटन शर्तो की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। आवंटन आदेश पर किसी मनोनीत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है । आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियमों के तहत आवंटन कार्यवाही नहीं की गई है। अतः ग्राम डियास में इन आवंटितयों को आवंटन की कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्ध है। यह भी निवेदन किया कि आवंटन करने में आवंटन सलाहकार समिति ने गंभीर त्रुटि की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी आवंटन निरस्त किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की बार–बार जानकारी करने पर बताया गया कि अभी तक निर्णय टंकित नहीं हो पाया है। इसके पश्चात नकल हेतु आवेदन दिनांक 24.11.2017 को पेश किया गया एवं दिनांक 4.12.2017 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2014 को आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलाण्ट के आवंटन को निरस्त फरमा दिया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के यहॉ अपील प्रस्तुत की । जिस पर प्रकरण संख्या एल आर/182/2014 कायम हुए जिसमें दिनांक 14.12.2015 को निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि '' वे इस तथ्य की जांच करे कि क्या विवादित भूमि उद्घोषणा से पूव आवंटन अनओक्यूपाईड भूमि थी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के उपरान्त भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उसकी रिपोर्ट का सत्यापन किन कारणों से नहीं किया गया'' इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए उक्त बिन्दु पर जांच नहीं कर अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट वक्त आवंटन आवंटन का पात्र था। आवंटन के समय अपीलार्थी के पास सिंचित भूमि को डबल करने पर कुल 0.84 हेक्टेयर भूमि मानकर भूमिहीन श्रेणी में मानते हुए आवंटन किया था। जिसका रकबा 2 बीघा से भी कम बनता है। उक्त भूमि भी पैतृक भूमि थी जिसमें अपीलाण्ट का हिस्सा बहुत कम था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को भूमिहीन कृषक नहीं मानकर अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया है। जो निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तहसीलदार फुलियॉकला की रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें आवंटित भूमि को काश्त योग्य माना है। उक्त आराजी में पानी की आव नहीं है, न ही नदी या नाला अथवा तालाब होने बाबत कोई रिपोर्ट ही पेश हुई है। उसके बावजूद अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होना मानते हुए आवंटन खारिज किया है जबकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट्स स्वयं द्वारा उनका कब्जा बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया इस कारण उनका कब्जा नहीं होने बाबत मौका पर्चा में उल्लेख था , जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने गलत विवेचन कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है । जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पेडेण्ट्स ने ग्राम डियास के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है लेकिन रेस्पोडेण्ट्स ने ग्राम डियास के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी इस बाबत कोई प्रार्थना पत्र भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स एग्रीवड परशन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट्स का प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नही था। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार होकर सद्भाविक काश्तकार है । अपीलाण्ट के परिवार का भरण–पोषण कृषि भूमि पर निर्भर है। अपीलार्थी ने किसी प्रकार से गलत एवं मिथ्या दुर्व्यपदेशन कर आवंटन नहीं कराया है। बल्कि सही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तथ्यों पर आवंटन कराया है। अपीलार्थी का आवंटित भूमि पर पूर्व से ही कब्जाकाश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा था व अपीलार्थी को आवंटन की पात्रता रखने के कारण वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रत्यर्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को रास्ते का भू भाग बताया है एवं दूसरी तरफ वादगस्त भूमि पर अन्य लोगों का कब्जा होना बताया है। जो अपने आप में विरोधाभाष होकर प्रार्थीगण के कथनों को असत्य साबित करते है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रत्यथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

11. प्रत्यर्थी संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोष्रपद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी अपीलार्थी ने आवंटन छल–कपट अथवा मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा आवंटन नहीं कराया है। आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी भूमिहीन सद्भाविक काश्तकार था इस तथ्य की पुष्टि के उपरान्त ही वादग्रस्त भूमि का अपीलाण्ट के पक्ष मे आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलिया कलॉ से वादग्रस्त आराजी बाबत रिपोर्ट तलब की गई। जिसमें अंकित किया गया कि '' इस भूमि के आवंटन के संबंध में प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये गये है कि अप्रार्थी के आवंटन प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि उद्‌घोषणा से पूर्व आवंटित भूमि अनओक्यूपाईड भूमि थी, क्यों कि आवंटन नियमों के अनुसार उद्‌घोषणा अनओक्यूपाईड भूमि ही आवंटन की जा सकती है । जिसकी जांच करवाया जाना आवश्यक है । इस बिन्दु के संबंध में आप जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि की क्या स्थिति है ? एवं मौके की क्या स्थिति है ? '' इस पर तहसीलदार, फूलियाकलॉ ने अपने पत्र दिनांक 13.9.2017 द्वारा यह रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है कि '' ग्राम डियास की आराजी नम्बर 934/1251 रकबा 10.19 हेक्टेयार भूमि मौके पर खाली पडी हुई है । जिस पर किसी का कब्जा नहीं है। '' अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थीया का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त नहीं रहा है। आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटिया को आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 1/2 भू भाग पर एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण आवटित भूमि पर काश्त करनी थी । अपीलार्थीया ने आवंटन के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर कभी काश्त क हो । इसब बात कोई राजस्व रेकार्ड यथा खसर गिरदावरी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत नहीं की है। जो प्रथमदृष्टया नियमों के विपरीत होकर आवंटन निरस्त योग्य माना है। इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलाण्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया । जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

14. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.9.2017 को यथावत रखा जाता है।

15. निर्णय आज दिनांक 29.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

29/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा